समाणालय, मधुबनी
(जिला स्थापना शाखा)

–: आ दे श :–

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के पत्रांक 1655/स्था0 दिनांक 20.08.2018 द्वारा श्री अखिलेख कुमार, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, कलुआही के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र–"क" में गठित कर भेजा गया है। उक्त आरोप के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1704/जि0स्था0, दिनांक 22.10.2018 द्वारा संचालन पदाधिकारी के रूप में डॉ राजेश्वर प्रसाद, स्थापना उप समाहर्त्ता, मधुबनी एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में अंचल अधिकारी, कलुआही को नियुक्त किया गया, साथ ही संचालन पदाधिकारी को 60 दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन कर जॉच प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध कर समर्पित करने का निदेश दिया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी के पत्रांक 29/जि0अभि0 दिनांक 05.09.2019 द्वारा श्री कुमार, राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन कर अभिलेखबद्ध जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के कम में आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र–क में गठित आरोप पर आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, कलुआही द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन एवं मतंव्य के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में आरोपित कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र–क में गठित आरोपो को विभागीय कार्यवाही के संचालन के कम में प्रमाणित नहीं पाया गया है। श्री कुमार, राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध प्रपत्र –क में गठित आरोपो के आलोक में उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इनके विरूद्ध गठित आरोपो से सम्बन्धित कार्य का निष्पादन तत्काल ही कर दिया गया। अधोहस्ताक्षरी, संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत है। तत्कालीन उत्पन्न परिस्थिति के आलोक में कार्य ससमय निष्पादन नहीं करने के लिए श्री अखिलेश कुमार, राजस्व कर्मचारी, अंचल कलुआही, के विरूद्ध आरोप गठित किया गया था।

अतएव वरीय उप समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त संचालन प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8237 दिनांक 06.07.2017 में निहित निदेश के आलोक में श्री अखिलेश कुमार, राजस्व कर्मचारी, अंचल कलुआही, सम्प्रति–घोघरडीहा अंचल को भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए आदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यो का ससमय निष्पादन नहीं करने संबंधी मामले प्रतिवेदित होने पर उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। साथ ही विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

सभी सम्बद्ध को सूचित करें।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञापांक 274/जि0स्था0, मधुबनी, दिनांक 19/02/2019 ई0।

प्रतिलिपि : श्री अखिलेश कुमार, राजस्व कर्मचारी, अंचल कलुआही, सम्प्रति–घोघरडीहा अंचल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, कलुआही/घोघरडीहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी/फुलपरास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिप : अपर समाहर्त्ता, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी आई0टी0 मैनेजर, मधुबनी को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।